



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

अंतर्गत - संख्या 241, वर्ष 2026

वाजिद रज़ा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से, और 2

अन्य

.....विरोधी पक्षकार (गण)

—

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

सागर सिंह, श्री राम

मौर्य

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 28

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उन्होंने इस प्रकरण में पूर्ण निर्देश प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें पूरी केस डायरी भी सम्मिलित है, और इस वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह अग्रिम जमानत अर्जी अभियुक्त/आवेदक - **वाजिद रज़ा** ने आपराधिक वाद संख्या 128 वर्ष 2024 में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406, 411, 465, 467, 468, 471 के अंतर्गत, पुलिस थाना हाथीगाँव, ज़िला प्रतापगढ़ में दायर की है। इसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि उन्हें उपरोक्त वाद में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर जोर देते हुए यह प्रस्तुत किया कि यह झूठा फँसाये जाने का वाद है, और मुखबिर द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं।

5. इस बात को और विस्तार से बताते हुए, यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि आवेदक ने कभी भी किसी लिखित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, न ही वह ऊपर बताए गए समझौते का कोई साक्षी रहा है, और न ही उसने शिकायतकर्ता से कोई पैसा लिया है या उसे कोई ज़मीन दिखाई है; लेकिन फिर भी, इस प्राथमिकी के बाद, पुलिस द्वारा आवेदक के परिवार को परेशान किया जा रहा है ताकि ऊपर दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में आवेदक को गिरफ़्तार किया जा सके। इस वाद में जाँच अधिकारी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-आरोपियों, यानी रिज़वान अली, फुरकान अहमद और मोहम्मद जावेद को, इस बेंच की निचली अदालत द्वारा पहले ही अग्रिम ज़मानत दी जा चुकी है (जैसा कि शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या 6 में बताया गया है)। वह विचारण की सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी विचारण न्यायालय में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वह वहाँ उपस्थित रहेगा; और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अग्रिम ज़मानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी-आवेदक कानूनी प्रक्रिया से भाग जाएगा या किसी अन्य प्रकार से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, आवेदक की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना का विरोध करते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह एक स्वीकृत तथ्य प्रतीत होता है कि आवेदक को इस पीठ की अधीनस्थ अदालत द्वारा, **आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या - 704 वर्ष 2025** में दिनांक 25.06.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, अंतरिम अग्रिम ज़मानत प्रदान की गई थी। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-आरोपियों, अर्थात् रिज़वान अली, फुरकान अहमद और मोहम्मद जावेद को भी इस पीठ की अधीनस्थ अदालत द्वारा पहले ही अग्रिम ज़मानत प्रदान की जा चुकी है।

8. अतः, आवेदक-**वाजिद रज़ा** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम ज़मानत याचिका **स्वीकार** की जाती है, और यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक, जो उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त है, को विचारण न्यायालय की किसी भी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाता है, अथवा यदि वह **आज से 20 दिनों के भीतर अर्थात् 19.04.2026** को या उससे पहले, इनमें से जो भी पहले हो, विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है / उपस्थित होता है, तो उसे तत्काल अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा; यदि वह संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और **दो ज़मानतदार** प्रस्तुत करे। यह ज़मानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी::

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. यदि आवेदक को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो वह आज से 20 दिनों के भीतर, यानी 19.04.2026 को या उससे पहले, विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

2. आवेदक जाँच में सहयोग करेगा और जब भी वाद के जाँच अधिकारी को आवश्यकता होगी, वह स्वयं को उपलब्ध कराएगा; यहाँ तक कि किसी तथ्य को जानने के लिए भी, यदि वाद की आगे जाँच किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा, और अग्रिम ज़मानत पर रिहा रहने के समय कोई अपराध भी नहीं करेगा।

4. आवेदक एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, और विशेष रूप से तब, जब अभियोजन पक्ष के साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगी।

5. आवेदक, (i) वाद के प्रारम्भ होने की तारीख पर, (ii) आरोप तय किए जाने की तारीख पर, और (iii) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए तय की गई तारीख पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

9. यदि विचारण न्यायालय की राय में, ऊपर रखी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन जान-बूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के किया गया है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसे उल्लंघन को उसकी ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई सभी टिप्पणियाँ मात्र इस अग्रिम ज़मानत आवेदन के निपटारे के लिए हैं और विचारण न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

31 मार्च, 2026

मूक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।